

भारत सरकार
Government of India
केंद्रीय जल आयोग
Central Water Commission
मुख्य अभियंता कार्यालय
Office of the Chief Engineer
ऊपरी गंगा बेसिन संगठन
Upper Ganga Basin Organization

दूरभाष सं. 0522—2715832, 2715734 फैक्स सं. 0522—2715834 e-mail:secolucknow-cwc@nic.in

'जाह्नवी सदन' 21 / 496, इन्दिरा नगर लखनऊ—226016

दिनांक:

20 /05/2015

पत्रांकः 1/1/2015/ जी0ओ०/ऊगंबेसं/2732-43

कार्यालय आदेश

In order to make a regular arrangement for looking after the important and urgent issues in the event of a particular Superintending Engineer/Director/Executive Engineer of UGBO proceeding on leave (E.L.,C.C.L. Maternity/Paternity Leave etc) the following Link Officer at the level of Superintending Engineer/Director/Executive Engineer/Deputy Director have been identified for various offices under UGBO, CWC, Lucknow, who would automatically look after the work.

Office	Link Officer
Superintending Engineer, HOC, Varanasi	Superintending Engineer (C)
Superintending Engineer, Dehradun	Superintending Engineer (C)

Office	Link Officer
Executive Engineer, MGD-I, CWC, Lucknow	Deputy Director, M&A Dte., CWC, Lucknow
Executive Engineer, MGD-II, CWC, Lucknow	Deputy Director, M&A Dte., CWC, Lucknow
Executive Engineer, MGD-III, CWC, Varanasi	Executive Engineer, MGD-I, CWC, Lucknow
Executive Engineer, HGD, CWC, Dehradun	Executive Engineer, MGD-II, CWC, Lucknow

Further in this regard it may be ensured by present Executive Engineers that the signature of the concerned link officer may be duly recorded and passed on to concerned bank/ financial institutions for smooth operation of Division work during their period of absence. In this connection it is also mentioned that charge handing over/ taking over be carried out in accordance with extant rules and procedure.

In addition Superintending Engineer (C) will be the Link Officer to Director, M&A Directorate and vice-versa in accordance to this office order dated 21.05.2015

अधीक्षण अभियंता (समन्वय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु :-

1. निर्देशक, प्रबोधन एवं मूल्यांकन निर्देशालय, केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ।

2. अधीक्षण अभियंता, जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमण्डल, केन्द्रीय जल आयोग, देहरादून/वाराणसी।

3. अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा मण्डल-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/हिमालयी गंगा मण्डल, केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ/वाराणसी/देहरादून।

4. उप निदेशक, प्रबोधन एवं मूल्यांकन निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ। प्रतिलिपि सचनार्थ:—

1. व्यक्तिगत निजी सचिव, सदस्य (नदी प्रबंध), केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, नई दिल्ली।

2. सचिव, केन्द्रीय जल आयोग, 313 (दक्षिण), सेवा भवन, रामकृष्णपुरम-1, नई दिल्ली।

3. अवर सचिव, स्थापना-1/स्थापना-2, केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, नई दिल्ली।

1/2

सं. 1/1/2015-ऊ.गं.बे.सं./2903-14

Government of India केन्द्रीय जल आयोग Central Water Commission मुख्य अभियंता कार्यालय Office of the Chief Engineer ऊपरी गंगा बेसिन संगठन Upper Ganga Basin Organization

दूरभाष सं. 2715832 फैक्स सं. 2719834

ई-मेल: secolucknow-cwc@nic.in

ADDENDUM (परिशिष्ट)

इस कार्यालय के कार्यालय आदेश संख्या 1/1/2015/जी.ओ./ऊगंबेसं/2732—43 दिनांक 28.05.2015 में अन्य शर्तों के साथ यह भी सम्मलित माना जाए "इस कार्य हेतु उन्हें कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक/मेहनताना देय नहीं होगा"।

(शिव प्रकाश) अधीक्षण अभियंता (समन्वय)

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु :--

- 1. निदेशक, प्रबोधन एवं मूल्यांकन, निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ।
- 2. अधीक्षण अभियन्ता, जल विज्ञानीय प्रेक्षण परिमण्डल, केन्द्रीय जल आयोग, वाराणसी/देहरादून।
- 3. अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा मण्डल—प्रथम / द्वितीय / तृतीय / हिमालयी गंगा मण्डल, केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ / वाराणसी / देहरादून।
- 4. उप निदेशक, प्रबोधन एवं मूल्यांकन, निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग, लखनऊ।

प्रतिलिपि सूचनार्थः -

- 1. व्यक्तिगत निजी सचिव, सदस्य (नदी प्रबंध), केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, आर.के. पुरम्, नई दिल्ली।
- 2. सचिव, केन्द्रीय जल आयोग, 313 (दक्षिण), सेवा भवन, आर.के. पुरम्, नई दिल्ली।
- 3. अवर सचिव, स्थापना-I/स्थापना-II, केन्द्रीय जल आयोग, सेवा भवन, आर.के. पुरम्, नई दिल्ली।